सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नौवहन महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार		
इंजीनियरों और मास्टर तथा मेटों के मुख्य परीक्षक द्वारा प्राधिकृत	परीक्षा, मूल्यांकन और प्रमाणपत्र (ईएसी) अनुभाग	आईएस / आईएसओ खंड सं. 7.5.1
	विषय: विदेशी सीओसी धारक भारतीय नागरिकों को पृष्ठांकन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया	वर्ष 2017 के एनटी/इंजीनियरिंग परिपत्र संख्या 03 का शुद्धि पत्र संख्या 01 दिनांकित: 17.10.2022

<u>वर्ष 2017 के एनटी/इंजीनियरिंग परिपत्र संख्या 03 का शुद्धि पत्र संख्या 01</u>

निदेशालय ने 12 अक्तूबर, 2017 को एनटी/इंजी. परिपत्र संख्या 03/2017 जारी किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, आयरलैन्ड, सिंगापुर, न्यू ज़ीलैन्ड और यूके से जारी किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र के धारक भारतीय नागरिकों को भारतीय सीओई जारी किए जाने हेतु विचार किए जाने के लिए कहा गया है ।

क्योंकि, निदेशालय को मैसर्स इन्डिया नेशनल शिप ऑनर्स एसोसिएशन (आईएनएसए) से समय-समय पर इस अनुरोध के अभ्यावेदन मिलते रहे हैं कि एनटी/इंजी परिपत्र संख्या 03/2017 की मान्यता अवधि को बढ़ा दिया जाए ।

क्योंकि, निदेशालय ने, उपर्युक्त अनरोधों को ध्यान में रखते हुए एनटी/इंजी परिपत्र संख्या 03/2017 में दी गई शर्तों और निबंधनों को बिना बदले 31.12.2022 तक सीओई की मान्यता को बढ़ा दिया था ।

अब, दिनांक 21.07.2022 से प्रवृत्त पांच साल के लिए भारत और यूके सरकारों के बीच हस्ताक्षरित सीओसी की पारस्परिक मान्यता हेतु समझौते के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय पोतों पर कार्य करने के लिए यूके सीओसी धारक समस्त प्रबंधन स्तर अधिकारियों के सीओई को 20.07.2027 यानी इस समझौते ज्ञापन के लागू होने की तारीख से पांच साल या संबंधित अधिकारी की यूके सीओसी की मान्यता तक, में से जो भी पहले हो तब तक के लिए अब पालन की जा रही शर्तों और निबंधनों के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा ।

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
न/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

यूके सीओई धारक प्रचालन स्तर के जो अधिकारी भारतीय जलयानों पर कार्य कर रहे हैं उन्हें इसी अवधि के लिए अपने सीओई को नवीकृत करवाने हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

यह शुद्धिपत्र नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अ चाकी
(अनिरुद्ध चाकी)
इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक-सह-उमनि (तकनीकी)

प्रति:

1. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई / कोलकाता / चेन्नई / कोच्चि / कांडला।
2. प्रभारी-सर्वेक्षक, समुद्री वाणिज्य विभाग, गोवा, जामनगर / पोर्ट ब्लेयर / विशाखापत्तनम / तूतीकोरिन / नोएडा / हल्दिया / पारादीप / मैंगलोर।
3. सीएस/एनए/सीएसएस।
4. इन्सा / मस्सा / फोस्मा / आईसीसीएसए।
5. इंजीनियरिंग अनुभाग / नॉटिकल अनुभाग / प्रशिक्षण अनुभाग।
6. हिंदी अनुवाद के लिए राजभाषा अनुभाग, नौमनि।
7. गार्ड फाइल, नौमनि, भारत सरकार।
8. कम्प्यूटर सेल, नौमनि, वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

Directorate General of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Govt. of India, Mumbai		
Authorised by the Chief Examiners of Engineers and Master & Mates	Examination, Assessment & Certificate (EAC) Branch	IS/ISO Clause No. 7.5.1
	Subject:- Procedure for issuance of Certificate of Endorsement of Recognition (COE) to Indian Nationals holding foreign COC	**Corrigendum No. 01 to NT/ENG. Circular No. 03 of 2017 dated 17.10.2022**

Corrigendum No. 01 to NT/ENGG. Circular No. 03 of 2017

The Directorate has issued the NT/ENG Circular No. 03 of 2017, on 12th October 2017, allowing Indian citizens holding Certificate of Competency from Australia, Ireland, Singapore, New Zealand and UK to be considered for issuance of an Indian COE.

Whereas, The Directorate from time to time had received representations from M/s. Indian National Ship Owners Association (INSA), requesting extension on the validity of the NT/ENG Circular No. 03 of 2017.

Whereas, The Directorate, in consideration of these requests had extended the validity of the COE's upto 31.12.2022 with the terms and conditions referred in the NT/ENG Circular No. 03 of 2017 remaining unchanged.

Now, As the agreement for mutual recognition of COC's has been signed between the Indian and UK Governments for five years w.e.f. 21.07.2022, it is informed that COE's of all management level officers holding **UK COCs** to work on Indian ships may be extended till 20.07.2027 i.e. Five years from the date of execution of MoU or till the validity of the UK COC of the officer concerned, whichever is earlier with the same terms and conditions as being followed now.

For operation level officers who are holding UK COE's and working in the Indian vessels may be permitted to renew their COE's for the same period.

17.10.22

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

This corrigendum is issued with the approval of the Director General of Shipping and Additional Secretary to the Govt. of India.

17.10.22

(Aniruddha Chaki)
Engineer & Ship Surveyor cum DDG (Tech)

To,

1. Principal Officer, Mercantile Marine Department, Mumbai/Kolkata/Chennai/Kochi/Kandla.
2. Surveyor-in-Charge, Mercantile Marine Department, Goa, Jamnagar/Port Blair/Visakhapatnam/Tuticorin/Noida/Haldia/Paradip/Mangalore.
3. CS/NA/CSS
4. INSA/MASSA/FOSMA/ICCSA.
5. Engineering Wing/ Nautical Wing/ Training Branch.
6. Hindi Cell, DGS, for Hindi Translation.
7. Guard File, DGS, GoI.
8. Computer Cell, DGS, for uploading on website.